न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/352/2005/भीलवाड़ा

1. लादूलाल पुत्र हरदेव गूर्जर, निवासी उन्दरो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा।
2. छीतर पुत्र हरदेव गूर्जर, निवासी उन्दरो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा।
3. मु0 रामकन्या पुत्री हरदेव गूर्जर, निवासी उन्दरो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा।

....अपीलार्थीगण

बनाम

1. नंदलाल पुत्र मगना गूर्जर, निवासी उन्दरो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।
3. उप पंजीयक माण्डलगढ़।

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थितः-
श्री वैभव कृष्ण पारीक, अधिवक्ता अपीलार्थी।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

--

निर्णय

दिनांकः 16-02-2021

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपील सं0 338/2002 उनवानी लादूलाल बनाम नंदलाल व अन्य में पारित किए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 12-10-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक वाद अधिनियम की धारा 88 व 188 का उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

के न्यायालय में विरूद्ध प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण पेश किया, जिसे उन्होंने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1ने दिनांक 03-01-2001 को जवाबदावा पेश किया तथा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद पत्र एवं जवाबदावा के आधार पर अनुतोष सहित 6 तनकियात कायम की। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय 16-04-2002 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 16-04-2002 से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12-10-2004 द्वारा अस्वीकार कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3- हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस द्वितीय अपील पर सुनी।

4- योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश कर राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया गया तथा दोनों पक्षकारों को कोई शहादत भी पेश नहीं की गई, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करना चाहिए था परन्तु विचारण न्यायालय ने तनकी सं0 3 का निर्णय कर दावे में धारा 11 सी0पी0सी0 के प्रावधान लागू होना मानकर दावे को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की, जिसे अधीनस्थ प्रथम अपील न्यायालय ने भी उचित मानने में भारी भूल की है। उनका तर्क है कि तनकी सं0 3 पर निर्णय पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तनकी सं0 3 का निर्णय दोनों पक्षकारों की साक्ष्य एवं सबूत पेश किए जाने के बाद ही किया जा सकता था जबकि विचारण न्यायालय में किसी भी पक्षकार ने साक्ष्य व शहादत पेश ही नहीं की थी। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय ने तनकी सं0 3 का निर्णय किस आधार पर व किस कारण से किया इसका कोई पर्याप्त एवं उचित कारण अपने निर्णय में अंकित नहीं किया तथा अपने निर्णय में आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 को आधार मानकर अपना निर्णय पारित किया। उनका यह भी तर्क है कि राजीनामा पूर्णतया कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत था तथा राजीनामा अवैधानिक नहीं था, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को

राजीनामें के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था यदि विचारण न्यायालय राजीनामें को नहीं मानती तो विचारण न्यायालय को दावे का निर्णय सभी तनकियों पर अलग अलग विवेचन करते हुए पारित करना चाहिए था। उनका यह भी तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रत्यर्थी ने जिस तथाकथित दावे का हवाला अपने दावे में किया, वह दावा केवल मात्र विभाजन का था जबकि वर्तमान वाद इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का था तथा विचाराधीन दावे पर धारा 11 सी0पी0सी0 के प्रावधान लागू नहीं होते थे, इसके उपरान्त भी दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित किया। उनका यह भी तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय आदेश 23 नियम 3 सी0पी0सी0 में प्रावधित प्रावधानो को नजरअंदाज कर पारित किए गए है। अपने तर्को के समर्थन में योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने ए0आई0आर0 (एस0सी0) पेज 1962, 2008 (2) आर0आर0टी0 1041, 2006 आर0बी0जे0 पेज 699, ए0आई0आर0 1977 एस0सी0 पेज 1724, 1993 डब्ल्यू0एल0सी0 (राज0) पेज 242 व 2009 डी0एन0जे0 (एस0सी0) पेज 1069 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए।

5- हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित आदेशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

6- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा ने अपने निर्णय दिनांक 16-04-2002 में अंकित किया कि विवादित आराजियात जमाबंदी संवत् 2056 ता 2059 में आ0चा0नं0 453 वादीगण व प्रतिवादी के 1/2-1/2 हिस्सा अंकित है तथा आराजजी नं0 441 मी0, 455, 546/1, 498/438 मी0 कुल किता 4 कुल रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा नंदलाल मु0 कजोड़ गूजर सा0 खातेदार अंकित है। विवादित आराजियात प्रतिवादी के नाम अंकित है, जिसके समर्थन में प्रार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 11 रेसज्यूडिकेटा एवं सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसके समर्थन में नकल मु0नं0 35/88 निर्णय दिनांक 09-07-90 कजोड़ बनाम हरदेव गूजर पेश किया है। प्रस्तुत वाद की नकल के अनुसार पक्षकारान समान है तथा विवादित आराजियात समान है। फाईनल डिक्री के बंटवारा प्रस्ताव पर अंकित नोट दिनांक 19-12-87 के अनुसार हरदेव ने हस्ताक्षर नहीं किए, जिससे स्पष्ट है कि

हरदेव वादीगण को उक्त डिक्री का ज्ञान था, जिसने कोई दावा एवं प्रतिदावा पेश नहीं किया, जिससे वादीगण ने निर्णय का मूक समर्थन किया, जिसकी कोई अपील वादीगण द्वारा नहीं की है। यह है कि माननीय राजस्व मण्डल की निगरानी में भी विवाद बिन्दु 3 के निर्धारण के निर्देश दिए है। इसी बीच वादीगण एवं प्रतिवादी ने एक राजीनामा पेश किया है, जिसके अनुसार वादी का वाद डिक्री करना चाहते है। परन्तु विवाद बिन्दु सं0 3 उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी के पक्ष में और वादीगण के विरूद्ध सिद्ध होता है तथा दावा में पेश राजीनामा वादी के समर्थन में सिद्ध नहीं होता है जब न्यायालय हाजा ने उक्त वादपत्र के बिन्दुओं को पूर्व में ही सिद्ध कर दिया तो इस न्ययालय को राजीनामा के आधार पर भी उक्त पूर्व निर्धारित बिन्दुओं को पुनः निर्धारण का अधिकार नहीं मिल जाता। अतः वाद पत्र की तनकी नं0 3 आया विवादित आराजियात बाबत् मृतक कजोड़ पुत्र धूला गूजर हरदेव पिता धूलागूजर के मध्य अधिकारों संबंधी प्रकरण सं0 118/86, 35/88 दिनांक 07–09–87 प्राथमिक डिक्री अंतिम डिक्री 09–07–90 निर्णय हो चुका है, यह जिम्मे प्रतिवादी थी, जिसे प्रतिवादी ने पेश दस्तावेजों से सिद्ध किया है, अतः उक्त तनकी विरूद्ध वादी सिद्ध की जाती है तथा प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11 प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होने के कारण दावा वादी खारिज किया जाना उचित है साथ ही वादी एवं प्रतिवादी द्वारा पेश राजीनामा एक दुरभिसंधी की श्रेणी में मानते हुए खारिज किया जाता है।

7– विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 12–10–2004 में अंकित किया कि अपीलांट ने यह तहरीर किया है कि संवत् 2028 के अंकन में बंदोबस्त अधिकारियों ने कजोड़ पिता धूला का नाम जोड़ दिया है। यह तथ्य बिल्कुल असत्य है। अपीलार्थी ने ऐसा कोई प्रमाणपत्र पेश नहीं किया है, जिससे यह विदित होता हो कि संवत् 2028 में आराजी मुतदाविया का कोई बंदोबस्त हुआ हो और भू प्रबंध अधिकारियों ने कोई अंकन अपने स्तर पर किया हो। वास्तविकता यह है कि आराजी मुतदाविया के संबंध में कजोड़ पिता धूला ने अपीलाण्ड्स के पिता हरदेव के विरूद्ध इस्तकरार हक एवं विभाजन का एक वाद प्रस्तुत किया था और वह वाद स्वीकार होकर कजोड़ पिता धूला के हक में इस आशय की डिक्री जारी हुई थी की आराजी मुतदाविया में अपीलान्ट्स के पिता हरदेव के साथ वह बहिस्सा बराबर का सह खातेदार है और इस डिक्री के आधार पर ही संवत् 2028 की जमाबंदी में कजोड़ पिता धूला का नाम अंकन किया गया

है। कजोड़ पिता धूला ने अपने हिस्से की आराजी रेस्पोडेंट को वसीयत की है। अपीलांट के पिता के विरूद्ध कजोड़ के हक में पारित डिक्री से अपीलांट बाध्य है और पारित डिक्री के विरूद्ध अन्य कोई दादरसी पाने के मुश्तहक नहीं है। रेस्पोडेंट सं0 1 ने अपीलांट के साथ राजीनामा होने का कथन किया है, जिसे मातहत अअदालत ने दुरभिसंधि करार दिया है। रेस्पोडेंट सं0 1 द्वारा जवाब दावे में सत्यता बयान करना और उसके बाद अपीलांट के हक में राजीनामा प्रस्तुत करना यह स्पष्ट करता है कि रजिस्ट्रेशन एवं मुद्रांक शुल्क को बचाने की दृष्टि से यह राजीनामा पेश किया गया है, जिसकी अनुमति नहीं देकर मातहत अदालत ने कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है।

8- पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी के यहां वादी द्वारा दावा दिनांक 10-11-2000 को पेश किया गया। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 31-01-2001 को जवाबदावा पेश कर वादी के दावे को अस्वीकार किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 25-10-2001 को पक्षकारान (वादी व प्रतिवादी) द्वारा राजीनामा पेश कर दिया। वादी ने अपने दावे में अंकित किया कि वादीगण के पिता के नाम पर उक्त विवादग्रस्त भूमि दर्ज थी किन्तु बंदोबस्त अधिकारी द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के संवत् 2028 से 2031की जमाबंदी में कजोड़ पिता धूला का नाम दर्ज कर दिया। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में उक्त कथन का खण्डन करते हुए लिखा है कि विवादित आराजियात के अधिकारों बाबत् सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। भू प्रबंध विभाग ने प्रविष्टियां सही की है।

9- विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में विस्तृत विवेचन करते हुए स्पष्ट अंकित किया है कि प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11 प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होने के कारण दावा वादी खारिज किया जाना उचित है साथ ही वादी एवं प्रतिवादी द्वारा पेश राजीनामा एक दुरभिसंधी की श्रेणी में मानते हुए खारिज किया जाता है।

10- विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 12-10-2004 में अंकित किया है कि अपीलांट ने ऐसा कोई प्रमाणपत्र पेश नहीं किया है, जिससे यह विदित होता हो कि संवत् 2028 में आराजी मुतदाविया का कोई बंदोबस्त हुआ हो और भू प्रबंध अधिकारियों ने कोई अंकन अपने स्तर पर कर दिया हो। आराजी मुतदाविया के संबंध में वाद स्वीकार होकर डिक्री के आधार

परही संवत् 2028 की जमाबंदी में कजोड़ पिता धूला का नाम अंकन किा गया है। रेस्पोडेंट सं0 1 द्वारा जवाबदावे में सत्यता बयान करना और उसके बाद अपीलांट के हक में राजीनामा प्रस्तुत करना, यह स्पष्ट करता है कि रजिस्ट्रेशन एवं मुद्रांक शुल्क को बचाने की दृष्टि से यह राजीनामा पेश किया गया है, जिसकी अनुमति नहीं देकर मातहत अदालत ने कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है।

11– उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किए गए है तथा दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना हम न्यायोचित नहीं समझते है।

12– उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–04–2002 व भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–10–2004 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य